(b) whether Government have received any proposal from any State Government for exemption from payment of IT for investment towards setting up infrastructure facilities for private ITIs; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI R. JANARTHANAN): (a) Deduction u/s 80-IA is admissible if an undertaking begins manufacture/production, or a hotel starts functioning on or after 1.4.91. From assessmient year 1993-94, the benefits cover industrial undertakings which are regarded as small scale undertakings. Industrial undertakings located in industrially backward States specified in the Eighth Schedule of the LT. Act; and industrial undertakings, set-up in notified backward districts after, 1st October, 1994 are now entitled to the benefits of the provisions. Industrial undertakings set up, anywhere in India, for generation or generation and distribution of power are also entitled to benefits.

The benefit of the provisions has also been extended to any enterprise carrying on the business of developing, maintain-ing and operating any infrastructure facility, which includes a road, highway, bridge, airport, port or rail system, irrigation, water-supply, sewerage and sanitary system.

Telecommunication services, industrial parks, commercial product of oil and refining have been extended similar benefits.

The bengfits are in the form of deductions, which could be in the form of 100% tax-holidays, or in the form of specified percentage of deductions over a specific period of time, as contained in the provisions, provided the specific other condition, laid in the sections are satisfied.

Provisions of section 80-IA of the In-come-Tax Act are given in Annexure.

[See Appendix 184, Annexure No. 93]

(b) Reference has been received from the Addl. Secretary, Govt, of Gujarat forwarded by Shri Y. K. Alagh, ex-Minister of State, for granting income tax exemption to investment made for setting up infrastructure facilities like private ITIs.

(c) It has been conveyed that Gujarat State expects an investment of Rs. 1,00,000 crores in the next decade in industrial development, which in turn creates need for skilled persons. Out of 201 blocks in Gujarat, 40 blocks do not have ITIs. Accordingly, it has been suggested that as this is an infrastructural facility for creation of jobs and training needs of industries, it may be included in the definition of 'infrastructure' for the purpose of Section 80-IA of the LT. Act.

बिहार में वाणिज्यिक/सहकारी बैंकों की नयी शाखाएं

3740. श्री ईश दत्त यादवः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों की नई शाखाएं खोलने के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयीं

(घ) वर्ष 1998-99 के दौरान उक्त बैंकों की कितनी और शाखाएं खोले जाने की उम्मीद है, और

(ङ) त्रिमुहानिघाट, बहेड़ा, दरभंगा (बिहार) में उपरोक्त बैंकों की शाखाएं कब तक खोल दिये जाने की उम्मीक है, और यदि कोई शाखाएं खोली नहीं गई हैं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनन): (क), (ख), (घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बिहार में वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में बैंकों की नई शाखाएं खोलने का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से अलग-अलग बैंकों द्वारा स्वयं लिया जाता है। जहां तक सहकारी हैंकों का सम्बन्ध है, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) अपने परिचालन के

क्षेत्र के अन्दर शाखाएं खोलने के लिए स्वतंत्र हैं और इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) अपनी आवश्यकता के अनुसार और भालतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। चूंकि सम्बन्धित बैंक विद्यमान वाणिज्यिक प्रतिफल के आधार पर शाखाएं खोलने का निर्णय लेते हैं, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1998-99 के दौरान कितनी शाखाएं खोली जाएंगी।

दरभंगा जिले का अग्रणी बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उन्हें त्रिमुहानी घाट, बडेडा, जिला दरभंगा, बिहार में बैंक शाखा खोलने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। बैंक ने प्रस्ताव की सम्भाव्यता का पतां लगाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1997-98 के दौरान, जबकि बिहार में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की 11 शाखाएं खोली गई हैं, परन्तु राज्य सहकारी बैंक की कोई शाखा राज्य में नहीं खोली गई है।

Difference between TA of Gazetted and Non-Gazetted employees

3741. SHRI RAJ NATH SINGH:
SHRIMTI MALTI SHARMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the rationale behind the steep difference between the transport allowance granted for Gazetted *vis-a-vis* non-Gazetted officers;

(b) whether Government are aware that it is literally not possible to commute with Rs. lOO*- as transport allowance in large metropolitan centres;

(c) the steps being taken by Government to revise the measly allocation of Rs. 100/-to a large section of non-Gazetted employees;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): *(a)* to (e) The Fifth Central Pay Commission had recommended varying rates of Transport Allowance to Central Government employees to suitably compensate them for the cost incurred on account of commuting between the place of residence and the place of duty. The Government have accepted the recommendation and do not propose to modify the rates.

भारतीय जीवन बीमा निगम के राजकोट विभागीय मंडल के कर्मचारी

3742. श्री अखिलेश दासः क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के राजकोट विभागीय मंडल में ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो एक दशम से भी अधिक अवधि से राजकोट कार्यालय में तैनात हैं;

(ख) उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वहां इनकी लम्बी अवधि की तैनाती से तथा उनके एकाधिकार से निगम के कार्यों में लापरवाही पायी गई है; और

(घ) क्या सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को इनका तत्काल तबादला करने के निर्देश दिए हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. जनार्दनन): (क) और (ख) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि राजकोट मंडल कार्यालय में पिछले दस वर्षों से अधिक समय सेनियुक्त कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार 100 है:

श्रेणी I – 1

श्रेणी II – 72

श्रेणी III -27

(ग) जी, नहीं।

(घ) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के स्थानान्तरण और उनकी तैनाती का मामला निगम का अपना आन्तरिक प्रशासनिक मामला है, और जिसके सम्बन्ध में सरकार का कोई हस्तक्षेत नहीं है।

Top Foreign Exchange Eamen

3743. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the top ten foreign exchange earnings by individuals such as players, magi-